

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 575 OF 2025

IN THE MATTER OF:

PAWAN BIHARI

.....APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS

.... RESPONDENT(S)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	FURTHER REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2- DISTRICT MAGISTRATE MATHURA, UTTAR PRADESH, IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 09.04.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
2.	A COPY OF THE LETTER DATED 08.05.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	A COPY OF THE LETTER DATED 08.05.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2	

4.	A COPY OF THE SITE INSPECTION REPORT DATED 08.06.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-3	
5.	A COPY OF THE LETTER DATED 08.05.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-4	
6.	COPIES OF THE ACTION TAKEN REPORTS AGAINST THE 09 BRICK KILNS ARE ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-5	
7.	A COPY OF THE LETTER DATED 01.07.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-6	

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON

STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.

EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com

PHONE NO.-7838248353

Date: 06.07.2026

Place: NOIDA

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 575 OF 2025

IN THE MATTER OF:

PAWAN BIHARI

.....APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS

.... RESPONDENT(S)

**FURTHER REPLY BY ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE,
MATHURA ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2- DISTRICT
MAGISTRATE MATHURA, UTTAR PRADESH, IN COMPLIANCE
WITH ORDER DATED 09.04.2026 PASSED BY THE HON'BLE
NATIONAL GREEN TRIBUNAL**

I, **Pankaj Kumar Verma**, aged about **44** years, S/o Shri **Shiv Ram Verma**, posted as District Magistrate (Incharge), Mathura, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present reply.

2. That I state that the contents of this reply have been drafted by my counsel on my instructions, and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

BACKGROUND OF THE MATTER

3. That, the grievance raised in the present matter pertains to the functioning of an alleged illegal brick kiln, namely M/s Chaudhary Digambar Singh Ent Udyog, stated to be operating since July 2021 in Village Inayatya Bangar, Tehsil Mant, District Mathura, Uttar Pradesh. It is further alleged by the Applicant that the said brick kiln is operating on Khasra No. 87/1, whereas the Consent to Establish (CTE) had been issued for establishment on Khasra No. 79A.
4. That, the Hon'ble Tribunal vide order dated 24.11.2025 issued the following directions:

“...9. In view of the facts and circumstances of the case, Precautionary Principle embodied in Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010 and in exercise of powers conferred by Section 19 (4) of the National Green Tribunal Act, 2010, respondent no.5 is restrained from operating the brick kiln in question and the District Magistrate, Mathura and the

Superintendent of Police, Mathura are directed to take all requisite measures for ensuring that the brick kiln does not operate illegally.

10. In view of the 'polluter pays' principle embodied in Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010 and in exercise of powers under Section 15 of the above said Act, the baked/unbaked bricks lying in the brick kiln having been made by respondent no. 5 illegally by operating the brick kiln in violation of the environmental laws/norms and without CTE/CTO from UPPCB are ordered to be seized and to be sold by way of public auction and the sale proceeds are ordered to be deposited by the District Magistrate, Mathura with the Ld. Registrar General of this Tribunal subject to further orders for adjustment towards environmental compensation to be imposed on the respondent no.5 and utilization thereof for remediation of environmental damage caused.

11. The District Magistrate, Mathura is directed to take over possession of the baked/unbaked bricks lying in respondent no.5-brick kiln and dispose of the same by way of public auction and to file action taken report and deposit the amount with the Ld. Registrar General of this Tribunal accordingly within two months which amount shall be liable to be utilized towards remediation of environmental damage caused in accordance with further directions of this Tribunal.

12. We are also of the considered view that the compliance status of all the brick kilns operating in District Mathura needs to be verified and

appropriate action is required to be taken by the concerned Statutory Authorities on the basis of the factual verification report. Accordingly, the District Magistrate, Mathura and Regional Officer, UPPCB, Mathura are directed to verify compliance status of all the brick kilns operating in District Mathura and also to take appropriate remedial action against the violators on the basis of such factual verification reports in accordance with law and to file joint action taken report within two months.

13. List on 09.07.2026 for further consideration...”

REPLY IS AS FOLLOWS

5. That, the Deponent has been authorised by Respondent Number 2- District Magistrate, Mathura to file the present response before the Hon’ble Tribunal.

I. REGADING ENSURING NON-OPERATION OF THE RESPONDENT NO. 5 BRICK KILN

6. That, DM Mathura, vide Letter No. **136/PNB/2026** dated **08.05.2026**, informed the **Superintendent of Police, Mathura** regarding the directions passed by the Hon'ble Tribunal and directed that constant monitoring be ensured so that the brick kiln is not operated under any circumstances.

A copy of the letter dated 08.05.2026 is annexed herewith and marked as *Annexure-1*.

II. REGARDING COMPLIANCE WITH THE DIRECTIONS FOR TAKING POSSESSION OF THE BAKED/UNBAKED BRICKS

7. That, further, in compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal to take possession of the baked and unbaked bricks lying at Respondent No. 5 brick kiln and to dispose of the same by way of public auction, DM, Mathura, vide Letter No. **134/PNB/2026** dated **08.05.2026**, constituted a Committee comprising the following members and directed it to take necessary action in accordance with the directions of the Hon'ble Tribunal and submit its compliance report:

- a. Sub-District Magistrate, Tehsil-Mant, District-Mathura.
- b. Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, District-Mathura.
- c. District Mining Officer, District- Mathura.
- d. Apar Mukhya Adhikari, District Panchayat, District-Mathura.

A copy of the letter dated 08.05.2026 is annexed herewith and marked as *Annexure-2*.

8. That, the Committee inspected the brick kiln in question on **08.06.2026** and found that the brick kiln was not in operation. It was further found that no baked or unbaked bricks were lying at the site.

A copy of the Site Inspection Report dated 08.06.2026 is annexed herewith and marked as *Annexure-3*.

III. REGARDING COMPLIANCE OF ALL THE BRICK KILNS OPERATING IN DISTRICT MATHURA

9. That, further, in compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, DM Mathura, vide Letter No. **135/PNB/2026** dated **08.05.2026**, constituted a Committee and directed it to stop the operation of any illegally operating brick kilns in District Mathura by pouring water through the Fire Department, and to ensure strict compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal.

The said Committee comprises the following members:

- a. Sub-Divisional Magistrate, Tehsil Mant/Chhata, District Mathura, or nominated representative;
- b. Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, District Mathura, or nominated representative;
- c. District Mining Officer, District Mathura, or nominated representative;
- d. Apar Mukhya Adhikari, Zila Panchayat, District Mathura, or nominated representative;

- e. Chief Fire Officer, District Mathura, or nominated representative; and
- f. Station House Officer of the concerned Police Station, District Mathura, or nominated representative.

A copy of the letter dated 08.05.2026 is annexed herewith and marked as *Annexure-4*.

10. That, pursuant to the aforesaid directions, the above-mentioned Committee has taken action against **09 illegally operating brick kilns**. Out of these, the operations of **07 brick kilns** were stopped by pouring water through the Fire Department. In respect of the remaining **02 brick kilns**, their authorised representatives have furnished undertakings stating that the brick kilns are not in operation and shall not be operated without obtaining a valid **Consent to Operate (CTO)** from the **Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB)**.

Copies of the Action Taken Reports against the 09 Brick Kilns are annexed herewith and collectively marked as *Annexure-5*.


11. Further, Regional Officer, UPPCB vide letter no. 295/0-127/2026 dated 01.07.2026 has informed the compliance status of all the Brick Kilns operating in District Mathura as follows:

S. No.	Particulars	Details
1.	Total number of brick kilns operating in District Mathura	341
2.	Number of brick kilns having valid CTE/CTO	243
3.	Number of brick kilns not having valid CTE/CTO	46
5.	Action taken against all such defaulting units	Sealed - 10; Environmental Compensation (EC) imposed - 36

A copy of the letter dated 01.07.2026 is annexed herewith and marked as **Annexure-6.**

11. Hence, this reply is respectfully submitted for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

12. That everything stated above is true and correct to my knowledge, derived from official records, and nothing material has been concealed therefrom.



[Signature]
DEPONENT

VERIFICATION

Verified at MATHURA, U.P. on this 6th day of July 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 13 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

The Contents of the affidavit of documents read over & explained Shri. PANKAJ KUMAR VERMA who is identified by Shri. MY SELF & on oath affirmed today on 06-7-2026 at my office & noted down in my notarial register at No. 9096 charged fees ₹ 1000/-

[Signature]
RAMVEER SINGH, Advocate
Notary Mathura

[Signature]
DEPONENT
BEFORE ME

[Signature]
RAMVEER SINGH, Advocate
Notary Dist. Court, MATHURA

कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा।

पत्रांक:- 136 / प्र0नि0बो0 / 2026

दिनांक- 08/05/2026

-आदेश-

पुलिस अधीक्षक,
जनपद-मथुरा।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-575/2025 "पवन बिहारी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक-24.11.2025 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्ठा मै0 चौधरी दिगम्बर सिंह ईट उद्योग, खसरा सं0-79ए, ग्राम-फिरोजपुर बांगर, तहसील-मांट, जनपद-मथुरा को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-11.02.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त भट्ठे का अद्यतन निरीक्षण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड-मथुरा, तहसील मांट-मथुरा एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-05.01.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठे का संचालन बन्द पाया गया। वर्तमान में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-09.04.2026 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:-

"9. In view of the facts and circumstances of the case, Precautionary Principle embodied in Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010 and in exercise of powers conferred by Section 19 (4) of the National Green Tribunal Act, 2010, respondent no.5 is restrained from operating the brick kiln in question and the District Magistrate, Mathura and the Superintendent of Police, Mathura are directed to take all requisite measures for ensuring that the brick kiln does not operate illegally".

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-575/2025 "पवन बिहारी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक-09.04.2026 के अनुपालन में ईट भट्ठे का संचालन किसी भी दशा में न होने के सम्बन्ध में ईट भट्ठे पर सतत निगरानी रखना सुनिश्चित करें।

भवदीय

Ch 08-5-26
(चन्द्र प्रकाश सिंह)
जिलाधिकारी,
मथुरा।

कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा।

पत्रांक:- 134 / प्र0नि0बो0 / 2026

दिनांक- 08/05/2026

-आदेश-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-575/2025 "पवन बिहारी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक-09.04.2026 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:-


"11. The District Magistrate, Mathura is directed to take over possession of the baked/unbaked bricks lying in respondent no.5-brick kiln and dispose of the same by way of public auction and to file action taken report and deposit the amount with the Ld. Registrar General of this Tribunal accordingly within two months which amount shall be liable to be utilized towards remediation of environmental damage caused in accordance with further directions of this Tribunal.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन कराये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

1. उप जिलाधिकारी, तहसील-मांट, जनपद-मथुरा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जनपद-मथुरा।
3. जिला खनन अधिकारी, जनपद-मथुरा।
4. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद-मथुरा।

उक्त प्रकरण में अग्रिम सुनवाई दिनांक-09.07.2026 को नियत की गयी है। अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में उक्त समिति को निर्देशित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-575/2025 "पवन बिहारी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक-17.02.2026 का अनुपालन कराते हुए आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

भवदीय


(चन्द्र प्रकाश सिंह)
जिलाधिकारी,
मथुरा।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित आ०ए० सं०-575/2025 "पवन बिहारी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-09.04.2026 के सम्बन्ध में अद्यतन आख्या।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित आ०ए० सं०-575/2025 "पवन बिहारी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-09.04.2026 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

".....The District Magistrate, Mathura is directed to take over possession of the baked/unbaked bricks lying in respondent no.5-brick kiln and dispose of the same by way of public auction and to file action taken report and deposit the amount with the Ld. Registrar General of this Tribunal accordingly within two months which amount shall be liable to be utilized towards remediation of environmental damage caused in accordance with further directions of this Tribunal"...

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा पत्र दिनांक-08.05.2026 के माध्यम से संयुक्त समिति का गठन किया गया है। संयुक्त समिति द्वारा उक्त ईट भट्टा मैसर्स चौधरी दिगम्बर सिंह ईट उद्योग ग्राम इनायदगढ़ बांगर, तहसील मांट, जनपद मथुरा का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-08.06.2026 को ईट भट्टा प्रतिनिधि श्री राजकुमार की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टे का संचालन बन्द पाया गया तथा ईट भट्टा परिसर में किसी भी प्रकार की कच्ची एवं पक्की ईटें भण्डारित नहीं पायी गयी। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स अवलोकनार्थ संलग्न है।



(रणजीव कुमार)
अनुश्रवण सहायक,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मथुरा।

(लाल सीहब वर्मा)
राजस्व निरीक्षक,
जिला पंचायत,
जनपद-मथुरा।

(अक्षय कुमार)
खान निरीक्षक,
खनन विभाग
जनपद-मथुरा।

(उत्कर्ष वर्मा)
नायब तहसीलदार,
तहसील-मांट,
जनपद-मथुरा।

कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा।

पत्रांक:- 135 / प्र0नि0बो0 / 2026

दिनांक-08/05/2026

-आदेश-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-575 / 2025 "पवन बिहारी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक-09.04.2026 के सुरंगत अंश निम्नवत् हैं:-

"12. We are also of the considered view that the compliance status of all the brick kilns operating in District Mathura needs to be verified and appropriate action is required to be taken by the concerned Statutory Authorities on the basis of the factual verification report. Accordingly, the District Magistrate, Mathura and Regional Officer, UPPCB, Mathura are directed to verify compliance status of all the brick kilns operating in District Mathura and also to take appropriate remedial action against the violators on the basis of such factual verification reports in accordance with law and to file joint action taken report within two months.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में जनपद मथुरा में अवैध रूप से संचालित ईट भट्टों में पानी डालकर ईट भट्टे का संचालन बन्द कराये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

1. उप जिलाधिकारी, तहसील-मांट/छाता अथवा नामित प्रतिनिधि।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जनपद-मथुरा अथवा नामित प्रतिनिधि।
3. जिला खनन अधिकारी, जनपद-मथुरा अथवा नामित प्रतिनिधि।
4. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद-मथुरा अथवा नामित प्रतिनिधि।
5. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, जनपद-मथुरा अथवा नामित प्रतिनिधि।
6. सम्बन्धित थानाध्यक्ष, जनपद-मथुरा अथवा नामित प्रतिनिधि।

उक्त प्रकरण में अग्रिम सुनवाई दिनांक-09.07.2026 को नियत की गयी है। अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में उक्त समिति को निर्देशित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में तत्काल प्रभाव से अग्नि शमन विभाग से अवैध ईट भट्टों में पानी डलवाकर ईट भट्टे का संचालन बन्द कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय



(चन्द्र प्रकाश सिंह)
जिलाधिकारी,
मथुरा।

-आख्या-

मै० जय दूरी मॉर्टि इंफ्रा लसा सं 621, बदा बागा तह०-द।ता
 जनपद - मथुरा के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा
 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी
 आदेश पत्रांक-एच नं० 3012/ए-4/ई-864/व।टी/2022 दिनांक:- 16/03/22
 के अनुपालन में आज दिनांक- 04/04/26 को ईट भट्ठे में पानी डालकर आग बुझा दिया
 गया एवं भट्ठे का संचालन बन्द करा दिया गया। इसके अतिरिक्त ईट भट्ठा प्रतिनिधि को
 निर्देशित किया गया कि बिना राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सहमति जल/वायु प्राप्त किये
 बिना किसी भी दशा में ईट भट्ठे का संचालन कदापि न किया जाये।

उपस्थित ईट भट्ठा
 प्रतिनिधि का नाम

लोकमनी प्रो. पराड्य


 04/04/26

अधिकारी/कर्मचारी
 का नाम एवं पदनाम


1- राधापीत कुमा (अनुपालक)
 उ० उ० प्रमुख सी० वॉरि
 मथुरा



 04/04/26

2- चन्डकिशोर जी०
 04-04-2026

3- कमलदीप सिंह
 हेड क्वार्टर
 धना शंकर


कमलदीप सिंह

4- 
 04/04/26
 अपर मुख्य अधिकारी
 जिला पंचायत मथुरा

5- 
 04/04/26
 खान निरीक्षक
 मथुरा



Jai Durga Maa Ent Udyog
04.04.2026 17:10
27.82352, 77.54910
RGCX+PPW, Barha Bangar, 281404



Jai Durga Maa Ent Udyog
04.04.2026 17:02
27.82352, 77.54910
RGCX+PPW, Barha Bangar, 281404



-आख्या-

मै० साहि बारा ईट खोला खतरा सं० - 116, 117, 118 मकान बारा, ख०- 512
पत्रांक- मथुरा के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा
 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी
 आदेश पत्रांक-एच 7353/1-4/ए-289/व-1 मथुरा/2022 दिनांक:- 29/2/22
 के अनुपालन में आज दिनांक- 04/04/26 को ईट भट्ठे में पानी डालकर आग बुझा दिया
 गया एवं भट्ठे का संचालन बन्द करा दिया गया। इसके अतिरिक्त ईट भट्ठा प्रतिनिधि को
 निर्देशित किया गया कि बिना राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सहमति जल/वायु प्राप्त किये
 बिना किसी भी दशा में ईट भट्ठे का संचालन कदापि न किया जाये।

उपस्थित ईट भट्ठा
 प्रतिनिधि का नाम

यासमीन चौकीदार
अद्वैत अजीय

4/4/26

अधिकारी/कर्मचारी
 का नाम एवं पदनाम

1- Ranjit Kumar VP PCB muthura

4/4/26

2- कडविमोली
09-09-2020

3- कमलीप सिंह
ए० अन्तर्गत
घातशोका

कमलीप सिंह

4-

4/4/26
 अपर मुख्य अधिकारी
 बिखा पंचायत मथुरा

5)

Ashy Kumar
4/4/26
 खान निरीक्षक
 मथुरा

मै0 साई बाबा ईट उद्योग, खसरा सं0-116, 117, 118, मझोई बांगर, तहसील-छाता, जनपद-मथुरा।



-आख्या-

मै० श्री माधव दत्त सि रघोग खन्ता त्तः 194, शहमापुर बाजार
 त्तः दत्ता पत्तः प्रया के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा
 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी
 आदेश पत्रांक-एच 33536/1-4/रि-4/रि-891/91(आदेश)/2021 दिनांक:- 29/3/2022
 के अनुपालन में आज दिनांक- 04/04/26 को ईट भट्टे में पानी डालकर आग बुझा दिया
 गया एवं भट्टे का संचालन बन्द करा दिया गया। इसके अतिरिक्त ईट भट्टा प्रतिनिधि को
 निर्देशित किया गया कि बिना राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सहमति जल/वायु प्राप्त किये
 बिना किसी भी दशा में ईट भट्टे का संचालन कदापि न किया जाये।

उपस्थित ईट भट्टा
 प्रतिनिधि का नाम

श्री माधव दत्त
 त्तः
 04/04/26

अधिकारी/कर्मचारी
 का नाम एवं पदनाम

1. रणजीत कुमार त्तः
 UPRCB Mathura

04/04/26

2. चंडबिहारी त्तः

3. 04/04/26

अपर मुख्य अधिकारी
 जिला प्रशासन मथुरा

U- कमलदीप सिंह

तः कान्तेश्वर

कमलदीप सिंह

4. Ashy Kumar

04/04/26
 खान निरीक्षक
 मथुरा

मै० श्री माधवदास ईट उद्योग, खसरा सं०-194, शहजादपुर बांगर, तहसील-छाता, जनपद-मथुरा।



-आख्या-

मै० दाउजी महाराज ईट उद्योग बसरा सं० १५९, उमानी बांगर
 तह० - दाता, जनपद मथुरा के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा
 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी
 आदेश पत्रांक-एच 72861/6-4/ई-839/बी/2022 दिनांक:- 15/2/2022
 के अनुपालन में आज दिनांक- 04/04/26 को ईट भट्ठे में पानी डालकर आग बुझा दिया
 गया एवं भट्ठे का संचालन बन्द करा दिया गया। इसके अतिरिक्त ईट भट्ठा प्रतिनिधि को
 निर्देशित किया गया कि बिना राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सहमति जल/वायु प्राप्त किये
 बिना किसी भी दशा में ईट भट्ठे का संचालन कदापि न किया जाये।

उपस्थित ईट भट्ठा
 प्रतिनिधि का नाम

कृष्णान
 04/04/2026
 मथुरा

अधिकारी/कर्मचारी
 का नाम एवं पदनाम

- 1- राजीव कुमार अडुवा
 U.P.P.C.B Mathura
- 2- चन्द्र मिश्र गौतम चंड डिवाइसिंग
 F.S.
- 3- विजय सिंह
 लेखपाल 04/04/2026
- 4- कमलदीप सिंह
 हेड कंट्रोल, मथुरा 4-04-26
- 5-
 04/4/26
 अपर मुख्य अधिकारी
 जिला पंचायत मथुरा
- 6- Anshu Kum
 8/4/26
 खान निरीक्षक
 मथुरा



-आख्या-

मै० श्री गोपाल जी बिक्रम झाड़ीज, बसपा जल 357, ए गांव, रसानी
 तहसीला दाता, जलपट - मथुरा के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा
 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी
 आदेश पत्रांक-एच 72039/1-4/टि-797/वती दादा/2022 दिनांक:- 28/02/2022
 के अनुपालन में आज दिनांक- 04/04/2026 को ईट भट्ठे में पानी डालकर आग बुझा दिया
 गया एवं भट्ठे का संचालन बन्द करा दिया गया। इसके अतिरिक्त ईट भट्ठा प्रतिनिधि को
 निर्देशित किया गया कि बिना राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सहमति जल/वायु प्राप्त किये
 बिना किसी भी दशा में ईट भट्ठे का संचालन कदापि न किया जाये।

उपस्थित ईट भट्ठा
 प्रतिनिधि का नाम

अधिकारी/कर्मचारी
 का नाम एवं पदनाम

व्यक्ति
 संश्लि
 4/04/26

1- राजीव कुमार मथुरा
 U P C B Mathura -

4/4/26

2. फंडमैनेजर गौतम
 FS 4/4/26

3. ~~व्यक्ति~~
 4/4/26
 Revenue

4- HC 1374 कमलदीप सिंह
 भासा - शेरगढ
 ति = 4-04-26

52
 04/4/26

अपर मुख्य अधिकारी
 जिला पंचायत मथुरा

6) Akshay Kumar
 4/4/26
 खान निरीक्षक
 मथुरा



Shree Gopal Ji Briks Industri
04.04.2026 13:49
27.80914, 77.58446
RH5M+H3, Ujhani Khadar 281404



Shree Gopal Ji Briks Industri
04.04.2026 13:55
27.80917, 77.58460
RH5P+45, Daulatpur Khadar 281404

-आख्या-

मै० जय बाबा मोहन राम बिक्रम खोश खसरा सं० - २१९, ग्राह २५५, बागा तह० दाना जलपट्ट- मथुरा के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ की धारा-३१ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश पत्रांक-एच ७२०५३/८-५/ईट - ७८३/१-१/२०२२ दिनांक:- २३/०२/२२ के अनुपालन में आज दिनांक- ०५/०५/२६ को ईट भट्ठे में पानी डालकर आग बुझा दिया गया एवं भट्ठे का संचालन बन्द करा दिया गया। इसके अतिरिक्त ईट भट्ठा प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि बिना राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना किसी भी दशा में ईट भट्ठे का संचालन कदापि न किया जाये।

उपस्थित ईट भट्ठा
प्रतिनिधि का नाम

दिगम्बर सिंह जी० -

५-५-२६

अधिकारी/कर्मचारी
का नाम एवं पदनाम

१- रणधीर कुमार शर्मा
U.P.P.C.B Mathura

२- चंद्र शर्मा जीरम

F.S. चंडिका देवी जीरम

३- विजय सिंह, लखनऊ

४- कमलदीप सिंह एस.एस.टी.
धाना गोगा।

- 5

०५/५/२६
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत मथुरा

⑥

Aishy Kumar
५/५/२६
खान निरीक्षक
मथुरा

मै0 जय बाबा मोहन राम ब्रिक्स उद्योग, खसरा सं0-218, ग्राम-उझानी बांगर, तहसील-छाता, जनपद-मथुरा।



Jai Baba Mohan Ram Ent Udyog
04.04.2026 15:09
27.80086, 77.56949
Chandroo Ka Nagla, Ujhani Banger, Mathura, Ujhani Banger 281404



Jai Baba Mohan Ram Ent Udyog
04.04.2026 15:11
27.80093, 77.56922
Chandroo Ka Nagla, Ujhani Banger, Mathura, Ujhani Banger
281404



-आख्या-

मै० स.स. बोहरे जी इंटिउद्योग खसरा सं० - २५९, ग्राम, जमान, तहसील
 जमान - मथुरा के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा
 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी
 आदेश पत्रांक-एच 720 SS/C-4/रि 795/अ.आदेश/ 2022 दिनांक:- 28/2/22...
 के अनुपालन में आज दिनांक- 04/04/26 को ईंट भट्ठे में पानी डालकर आग बुझा दिया
 गया एवं भट्ठे का संचालन बन्द करा दिया गया। इसके अतिरिक्त ईंट भट्ठा प्रतिनिधि को
 निर्देशित किया गया कि बिना राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सहमति जल/वायु प्राप्त किये
 बिना किसी भी दशा में ईंट भट्ठे का संचालन कदापि न किया जाये।

उपस्थित ईंट भट्ठा
 प्रतिनिधि का नाम

श्रीतपाल झा-श्री
 4-4-26

अधिकारी/कर्मचारी
 का नाम एवं पदनाम

- 1- राजीव कुमार खड्डा तहसील
 U.P.P.C.S Mathura
- 2- चंद्र सिंह शर्मा
 F.S. पंजाब
- 3- विजय सिंह, लेखपाल
 04-04-2026
 04/04/2026
- 4- इमलीप सिंह, लेखपाल
 थाना, शेरगढ़
 4-04-26
- 5-
 04/4/26
 अपर मुख्य अधिकारी
 जिला पंचायत मथुरा
- 6- Akshay Kumar
 4/4/26
 खान निरीक्षक
 मथुरा



S S Bohare Ji Ent Udyog
04.04.2026 14:45
27.80611, 77.57122
RH5C+663, Ujhani Bangar 281404



S S Bohare Ji Ent Udyog
04.04.2026 14:47
27.80597, 77.57097
RH5C+663, Ujhani Bangar 281404



सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मथुरा।

विषय:- बन्दी आदेश के अनुपालन में ईट भट्ठा बन्द किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं०-एच७३५२७/सी-४/ईट-८८५/बन्दी आदेश/२०२२ दिनांक-२९.०३.२०२२ के माध्यम से मेरे ईट भट्ठे को बन्दी आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुपालन में मेरे द्वारा वर्तमान में ईट भट्ठे का संचालन नहीं किया जा रहा है तथा बिना उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन के लिये सहमति आदेश जल एवं वायु प्राप्त किये भविष्य में भी ईट भट्ठे का संचालन नहीं किया जायेगा।

दिनांक:- ०५/०४/२६

प्रतिलिपि- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-४), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

प्रार्थी


(दीपक गोयल)

पार्टनर

मै० जय बाबा फलारी ईट उद्योग (वर्तमान नाम
मै० श्री कृष्णा ब्रिक्स फील्ड), खसरा सं०-२१५
ए, २१३, ग्राम-ऐंच, तहसील-छाता,
जिला-मथुरा।



दिनांक:- 05/04/2026

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मथुरा।

विषय:- ईट भट्ठे को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-29.03.2022 के द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में ईट भट्ठा बन्द रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं०-एच73533/सी-4/ईट-884/बन्दी आदेश/2022 दिनांक-29.03.2022 के माध्यम से मेरे ईट भट्ठे को बन्दी आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुपालन में मेरे द्वारा ईट भट्ठे का संचालन नहीं किया जा रहा है तथा भविष्य में भी बिना उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये ईट भट्ठे का संचालन नहीं किया जायेगा।

प्रार्थी

रामकिशन

(रामकिशन) 05/04/2026

पार्टनर/प्रो०

मै० श्री गणेश ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज,
खसरा सं०-716, 718,
ग्राम-बुखरारी, तहसील-छाता,
जिला-मथुरा।

प्रतिलिपि- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

मै0 श्री गणेश ब्रिक्स इण्डस्ट्री, खसरा सं0-716, 718, ग्राम-बुखरारी, तहसील-छाता, जनपद-मथुरा।





क्षेत्रीय कार्यालय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।



REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

संदर्भ सं./Ref.No... 295/0-127/2026

दिनांक/Date..... 01/07/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-575/2025 पवन बिहारी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-09.04.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री शिवांश शर्मा द्वारा प्रेषित ईमेल दिनांक-24.06.2026, जो आपको सम्बोधित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त ईमेल के माध्यम से चाही गयी सूचनायें बिन्दुवार निम्नलिखित हैं:-

1.	Total Number of brick kilns operating in District-Mathura.	341
2.	Number of brick kilns having valid CTE/CTO.	243
3.	Number of brick kilns operating without valid CTE/CTO.	46
4.	Action taken against all such defaulting units.	Sealed-10, EC-36
5.	Compliance status of the brick kilns with stipulated environmental norms and conditions of the CTO/Mining License/etc.	243

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।
2. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी